न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 97 / 2012

1 रामेश्वर सिंह पुत्र माधाराम उर्फ महादेवाराम जाति जाट निवासी कोलिड़ा तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 सुखदेव सिंह पुत्र दूदाराम जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 41 चरणसिंह नगर सीकर तहसील व जिला सीकर।
2 डूंगाराम पुत्र माधाराम उर्फ महादेवाराम।
3 रामलाल सिंह पुत्र माधाराम उर्फ महादेवाराम।
4 तारामणी पुत्री माधाराम उर्फ महादेवाराम।
5 मुकेश दत्तक पुत्र हेमाराम।
6 गोपाल पुत्र लक्ष्मणसिंह।
7 सावित्री पुत्री लक्ष्मणसिंह समस्त जाति जाट निवासीगण कोलिड़ा तहसील व जिला सीकर।
8 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अ. धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 21.10.2011 न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर पीठासीन अधिकारी श्री जे.पी. त्यागी दावा संख्या 74 / 2008 बउनवानी सुखदेवसिंह बनाम माधाराम वगैरह।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री भीमसिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री भगवान सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री रमेश श्रीवास्तव, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
4. 4 श्री सुरजभान सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 19.02.2021

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 74/2008 में पारित निर्णय दिनांक 21.10.2011 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण सुखदेव सिंह व लक्ष्मण सिंह ने विचारण न्यायालय में ग्राम कोलीड़ा की भूमि खसरा नम्बर 1480,1481,1482 बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई दिनांक 21.10.2011 को वाद प्राथमिक रूप से डिक्री किया है। इससे व्यथित होकर प्रतिवादी संख्या 1/3 रामेश्वर सिंह की और से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 02.06.2009 में वादी लक्ष्मणसिंह की मृत्यु की सूचना प्रतिवादी ने न्यायालय को दे दी थी, यह तथ्य आदेशिका पर अंकित है। इसके पश्चात पत्रावली वास्ते कायम मुकाम कायम की गई है। विचाराधीन आदेश पारित करने की दिनांक 21.10.2011 तक कायम मुकाम की कार्यवाही नही की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन आदेश मृत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

व्यक्ति के कायम मुकाम रिकार्ड पर लिये बिना ही पारित किया गया है, जो विधि विरूद्व है। अत अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि वर वक्त बहस रेस्पोडेंट की और से आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के आवेदन के साथ ए.डी.जे. कोर्ट 2 के निर्णय दिनांक 27.11.2010 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत कर कथन किया है कि मुकेश कुमार हेमाराम का दत्तक पुत्र नही है। इस सन्दर्भ में सिविल न्यायालय का निर्णय रिकार्ड पर लिया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि विवादित भूमि से अपीलांट का कोई लेना देना नही है। माननीय उच्च न्यायालय में गोदनामे के निर्णय के विरूद्व अपील लम्बित होने का अथवा स्थगन होने का कोई दस्तावेज अपीलांट ने प्रस्तुत नही किया है। विचारण न्यायालय द्वारा विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ प्रस्तुत दस्तावेज न्यायिक निर्णय की प्रति है। जो लोक दस्तावेज होने से रिकार्ड पर लेने योग्य पाई जाती है। अत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

प्रस्तुत प्रकरण में विचारणीय तथ्य यह है कि विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 02.06.2009 में वादी लक्ष्मणसिंह की मृत्यु की सूचना प्रतिवादी ने न्यायालय को दे दी थी, यह तथ्य आदेशिका पर अंकित है। इसके पश्चात पत्रावली वास्ते कायम मुकाम कायम की गई है। विचाराधीन आदेश पारित करने की दिनांक 21.10.2011 तक कायम मुकाम की कार्यवाही नही की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन आदेश मृत व्यक्ति के कायम मुकाम रिकार्ड पर लिये बिना ही पारित किया गया है, जो विधि विरूद्व है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में गुणावगुण पर कोई विवेचन किये बिना ही प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वादी संख्या 2 लक्ष्मण सिंह के कायम मुकाम/अबैटमेंट के सन्दर्भ में सर्वप्रथम उभयपक्ष को सुनकर निर्णय पारित करें। तत्पश्चात प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही सम्पादित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.03.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर